

प्रेस नोट दिनांक 19.09.2024, जनपद- प्रतापगढ़

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

स्वाट टीम व थाना हथिगवां पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत हुई लूट, चोरी, डकैती की घटना का सफल अनावरण

थाना हथिगवां में चोरी, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्रान्तर्गत चोरी, लूट, डकैती की घटित घटना में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व अनावरण हेतु दिए गये थे सख्त निर्देश

दिनांक 08.03.2024 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भैरो बाबा मन्दिर के पास में आरोपीगणों द्वारा 01 युवती को गोली मारकर घायल करने की घटना कारित की थी

स्वाट टीम व थाना हथिगवां पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत भद्रशिव अण्डर पास के पास से 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अभियुक्त अरविन्द कुमार मिश्रा के कब्जे से उपरोक्त मुकदमों से संबंधित 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद काला पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुल 900/- रुपये को किया गया बरामद

घटना का संक्षिप्त विवरण-

1. दिनांक 08.03.2024 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत भैरो बाबा मन्दिर के पास में आरोपीगणों द्वारा 01 युवती को गोली मारकर घायल करने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम तथा डकैती, लूट व चोरी की घटित घटनाओं के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गई थी, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में

थाना प्रभारी हथिगवां नन्दलाल सिंह के नेतृत्व में थाना हथिगवां पुलिस व स्वॉट/सर्विलांस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही एवं पुलिस मुठभेड़ के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्रान्तर्गत स्थित भद्रशिव अण्डर पास के पास से दिनांक 18.09.2024 को समय 17.41 बजे मु0अ0सं0 44/2024 धारा 307 भादवि से संबंधित 01 अभियुक्त, अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा समसपुर छोटी बहरिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से उपरोक्त मुकदमे से संबंधित 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस, 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद काला पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुल 900/-रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त के कब्जे 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद काला पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुल 900/-रूपये बरामद किया गया, पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने व चोरी का माल बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/24 धारा 109,317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त अरविन्द कुमार मिश्रा उपरोक्त ने बताया गया कि मैंने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर योजना बनाकर अपने परिवार के लोगों को फर्जी फसाने के लिये दिनांक 08.03.2024 को भैरो बाबा मन्दिर के पास में मैंने अपनी प्रेमिका के हाथ में शाम के समय इसी तमन्चे से गोली मारी थी और अपने परिवार के लोगों के खिलाफ अपनी प्रेमिका से फर्जी मुकदमा लिखवाया था। दिनांक 06.07.2024 को रात्रि में ग्यासपुर की डकैती में मेरे साथ कमलेश दुबे, शुभम दुबे, नीलम पाण्डेय, अंशु पाण्डेय उर्फ कृपा शंकर पाण्डेय, लालजी यादव व चण्डिका शुक्ला के साथ मिलकर घटना को अन्जाम दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरविन्द कुमार मिश्रा पुत्र देवी प्रसाद मिश्रा समसपुर छोटी बहरिया थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

अरविन्द कुमार मिश्रा उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 51/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0- 26/2009 धारा 394 भादवि थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज।

- 3- मु0अ0सं0- 46/2009 धारा 392/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज ।
- 4- मु0अ0सं0- 157/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना जीआरपी जनपद प्रयागराज ।
- 5- मु0अ0सं0- 239/2009 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 6- मु0अ0सं0- 295/2009 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।
- 7- मु0अ0सं0- 81/24 धारा 110जी सीआरपीसी थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।
- 8- मु0अ0सं0- 44/24 धारा 307/120बी/211/195 भादवि थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।
- 9- मु0अ0सं0- 191/24 धारा 310(2)/311/317(3) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।
- 10- मु0अ0सं0- 198/24 धारा 109/317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस व 01 अदद मोटरसाइकिल पैशन प्रो, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद काला पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुल 900/-रूपये बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1- स्नॉट/सर्विलांस टीम:- प्रभारी स्नॉट टीम उ0नि0 श्री सुनील कुमार यादव मय हमराह हे0का0 मोहित राज यादव, का0 राजेन्द्र कुमार, का0 अरविन्द दूबे, का0 श्रीराम सिंह, का0 जागीर सिंह, का0 आशुतोष पाण्डेय ।

2- निरीक्षक नन्दलाल सिंह मय हमराह उ0नि0 बनवारी लाल पाल, उ0नि0 प्रिन्स तिवारी, का0 गौरव सिंह, म0का0 नीलम, का0 अमित कुमार सिंह थाना हथिगवा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 मुकुन्दजी पाण्डेय मय हमराह उ0नि0

श्री गौतम बनर्जी, म0उ0नि0 आरती कुमारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मु0अ0स0 72/22 धारा 323,504,506,427 भादवि एसटी नं0 11000/23 थाना देल्हूपुर से संबंधित वारण्टी अभियुक्त 1- कर्म प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह, 2- वीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म प्रताप सिंह, 3- साजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह निवासी गण ग्राम भिखनापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के ग्राम भिखनापुर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्तगणों का विवरण-

- 1- कर्म प्रताप सिंह पुत्र राम प्रताप सिंह निवासी ग्राम भिखनापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 2- वीरेन्द्र सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह पुत्र कर्म प्रताप सिंह निवासी ग्राम भिखनापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
- 3- साजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिव प्रताप सिंह निवासी ग्राम भिखनापुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 मुकुन्दजी पाण्डेय मय हमराह उ0नि0 श्री गौतम बनर्जी, म0उ0नि0 आरती कुमारी थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस की अवैध शराब एवं शराब बनाने वाले के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही,

कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 ग्राम यूरिया बरामद तथा कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत बढनी तिराहा से शमशेरगंज जाने वाली सड़क पर पुलिया के पास गिट्टी प्लांट के पास से की गई गिरफ्तारी/अवैध शराब की बरामदगी ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों/ अवैध शराब निष्कर्षण/विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 'थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बढनी तिराहा

से शमशेरगंज जाने वाली सड़क पर पुलिया के पास गिट्टी प्लांट के पास से कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 ग्राम यूरिया बरामद किया गया तथा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। ,

1- उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप, कां0 अफजाल अहमद, कां0 कुशाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान 01 व्यक्ति महन्थ सरोज पुत्र रामनिहोर सरोज निवासी ग्राम घीसा का पुरवा रेडवीर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को कुल 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 ग्राम यूरिया के साथ बढनी तिराहा से शमशेरगंज जाने वाली सड़क पर पुलिया के पास गिट्टी प्लांट के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0- 311/24 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व धारा 274, 275 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1-महन्थ सरोज पुत्र रामनिहोर सरोज निवासी ग्राम घीसा का पुरवा रेडवीर थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

कुल बरामदगी - 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व 200 ग्राम यूरिया।

पुलिस टीम -उ0नि0 राकेश कुमार सिंह मय हमराह उ0नि0 अखिलेश प्रताप, कां0 अफजाल अहमद, कां0 कुशाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महेशगंज पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के टेण्डा सरैया मोड़ के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.06.2024 को थानाक्षेत्र महेशगंज के वादी की पुत्री को आरोपीगणों द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना महेशगंज में धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में उ०नि० शिवाप्रजापति मय हमराह कां० सचिन भदौरिया द्वारा अभियुक्त अभिनय शिवांश उर्फ मोनू पाण्डेय पुत्र देशराज पाण्डेय निवासी टेण्डा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 19.09.2024 को थानाक्षेत्र के टेण्डा सरैया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शिवांश उर्फ मोनू पाण्डेय को धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- शिवांश उर्फ मोनू पाण्डेय पुत्र देशराज पाण्डेय निवासी टेण्डा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।
गिरफ्तार करने वाली टीम:- उ०नि० शिवाप्रजापति मय हमराह कां० सचिन भदौरिया थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना पट्टी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के डी०एन० द्विवेदी पब्लिक स्कूल के पास पंचायत भवन के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.04.2024 को थानाक्षेत्र पट्टी के वादिनी की पुत्री को आरोपीगणों द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त

तहरीर के आधार पर थाना पट्टी में धारा 363, 366, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा०० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी आलोक सिंह के नेतृत्व में उ०नि० श्री श्यामसुन्दर गिरि मय हमराह उ०नि० अजीत सिंह हे०कां० रामचन्द्र प्रसाद, कां० अभिषेक यादव, कां० सोनू यादव, कां० विधिचन्द द्वारा अभियुक्त अभिनय शनि कुमार उर्फ गोलू पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम डड़वा महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 19.09.2024 को थानाक्षेत्र के डी०एन० द्विवेदी पब्लिक स्कूल के पास पंचायत भवन के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त शनि कुमार उर्फ गोलू को धारा 363, 366, 376(3) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- शनि कुमार उर्फ गोलू पुत्र सन्तलाल निवासी ग्राम डड़वा महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

उ०नि० श्री श्यामसुन्दर गिरि मय हमराह उ०नि० अजीत सिंह हे०कां० रामचन्द्र प्रसाद, कां० अभिषेक यादव, कां० सोनू यादव, कां० विधिचन्द थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।